आदेशिका

05/02/18 आज वादी मौजूद। अभियुक्त प्रतिवादी हाजिर। अभियुक्त वादी व वादी का अभिभाषक दिखाई गई। बार बार अवसर दिलाने के बावजूद अभियोजन पक्ष हाजिर नहीं होने से वादी वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी Criminal उप जाब्ता की धारा 256 के अन्तर्गत फैसला शुमार होकर नस्ती के काबिल है।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ